भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 183
(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड में जमा धन की वापसी

†183 **श्री अमरा राम:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड तथा बचत संस्थाओं में निवेशकों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस करने के लिए सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना क्या है;

(ख) कितने निवेशकों को उनकी जमा की गई धनराशि वापस कर दी गई हैं;

(ग) उक्त जमा की गई धनराशि को उनके निवेशकों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री अमरा राम द्वारा "सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड में जमा धन की वापसी" के संबंध में पूछे गए दिनांक 5 अगस्त 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.08.2012 के आदेश के अनुसार, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रवर्तकों और निदेशकों को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास कुल 25,781.37 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 13.02.2013 के कुर्की आदेशों के अनुसरण में, दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सेबी के पास कुल 15,775.50 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत रिकार्डों की प्रतिजांच करने के बाद भुगतान प्रमाणित करने वाले संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के बाँडधारकों को ब्याज के साथ राशि वापस करने का भी निर्देश दिया था। तदनुसार, सेबी ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन आमंत्रित किए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन. अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के आधार पर, सेबी ने 17,526 पात्र बाँडधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये की राशि वापस की है। इसके अलावा, सेबी ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त निर्देश हेतु दिनांक 21.12.2021 को एक अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्यवाही के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया है।

सेबी ने अपने दिनांक 31.10.2018 के आदेश में, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) और उसके निदेशकों को एकत्र की गई धनराशि इसके बाँडधारकों को वापस करने का निर्देश दिया। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों के निपटान के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी ताकि बिक्री से प्राप्त आमदनी निवेशकों में वितरित की जा सके। समिति के पास वितरण के लिए उपलब्ध निधियों की राशि पर विचार करने के बाद, छोटे निवेशकों से शुरू करते हुए, उचित सत्यापन के साथ चरणबद्ध तरीके से निवेशकों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, समिति ने 19,000 रुपये तक की बकाया दावा राशि वाले 20,84,635 पात्र निवेशकों को 1,021.84 करोड़ रुपये का कुल रिफंड प्रदान किया है।

****